



UNIVERSITY LAW COLLEGE CENTRE-II
UNIVERSITY OF RAJASTHAN
J.L.N. Marg, Jaipur-302004

No. : ULCC-II/20...26/...337.....

Dated : ...24/02/2026.....

एलएल.बी. के Annual Scheme में प्रवेश हेतु आवश्यक सूचना

एलएल.बी. के Annual Scheme के वही विद्यार्थी प्रवेश के पात्र होंगे जो कुलसचिव पत्र क्रमांक प.नि. 2024/2644-2650, दिनांक 19.11.2024 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित पात्रता रखते हैं। उक्त पत्र संदर्भ एवं अवलोकनार्थ संलग्न है।

प्रवेश से पूर्व विद्यार्थी अपनी पात्रता का भली-भाँति परीक्षण कर लें तथा एलएल.बी. Annual Scheme की समस्त अंकतालिकाओं की स्वप्रमाणित प्रतियाँ लेकर महाविद्यालय कार्यालय में Fee Verification कराएं। फीस सत्यापन के बिना ऑनलाइन प्रवेश फॉर्म नहीं भरा जा सकेगा।

फीस जमा करने के पश्चात प्रत्येक विद्यार्थी को कार्यालय समय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना Roll Number Allotment करवाना अनिवार्य होगा। इसके पश्चात ही विद्यार्थी का प्रवेश Provisionally Admitted माना जाएगा।

गलत जानकारी, अपात्रता अथवा त्रुटिपूर्ण दस्तावेजों के आधार पर लिया गया प्रवेश किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है।

Payesh you
प्राचार्य

नोट :

1. महाविद्यालय में प्रवेश लेने के प्रमाण के रूप में फीस की रसीद/आई कार्ड लगाना भी अनिवार्य है।
2. एलएल.बी. Annual Scheme की समस्त अंकतालिकाओं की स्वप्रमाणित प्रतियाँ।

दिनांक

कार्यालय-आदेश

विश्वविद्यालय शैक्षणिक परिषद के निश्चय संख्या-28 एवं निश्चय संख्या अन्तर्गत एजेन्डा आइटम संख्या-08 दिनांक 23.08.2024 तथा सिंडिकेट निश्चय संख्या 18-110 दिनांक 13.10.2024 के अनुसरण में निर्दिष्ट किया जाता है कि विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 (NEP-2020) लागू होने एवं एल.एल.बी. पाठ्यक्रम में सेमेस्टर पद्धति प्रारम्भ होने के फलस्वरूप B.A./ B.Sc./ B.Com./ B.C.A./ LL.B. एवं अन्य तीन वर्षीय वार्षिक पद्धति के समस्त पाठ्यक्रमों में परीक्षार्थी के पंजीकरण/प्रवेश से अधिकतम 06 वर्ष या परीक्षा 2026 (दोनों में जो भी बाद में हो) में पूर्ण करने की समय सीमा निर्धारित की जाती है। यह प्रावधान शैक्षणिक सत्र 2023-24 तक पंजीकृत समस्त विद्यार्थियों पर लागू होगा।

निर्धारित की गई उक्त समय-सीमा/अवधि तक वार्षिक पद्धति आधारित स्नातक पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं करने की स्थिति में संबंधित परीक्षार्थी का पाठ्यक्रम स्वतः निरस्त/शून्य माना जायेगा।

स
कुलसचिव

क्रमांक: प.नि./2024/2644-2650

दिनांक: 19.11.24

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. उप कुलसचिव, शैक्षणिक-1, रा.वि.वि., जयपुर को उनके द्वारा शैक्षणिक परिषद की बैठक दिनांक 23.08.2024 में की गई अनुसंसाओं के Action Taken हेतु जारी किये गये मीमो संख्या- F.3(4)/Acad.1/2024/41897 दिनांक 02.10.2024 के संदर्भ में प्रेषित है। साथ ही संबंधित पाठ्यक्रमों (Syllabi) में उक्त प्रावधान अंकित किया जाना भी सुनिश्चित किया जाना है।
2. उप कुलसचिव, परीक्षा गोपनीय/ लेखा एवं वित्त, रा.वि.वि., जयपुर।
3. निदेशक, इन्फोनेट, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को इस आशय के साथ कि उक्त कार्यालय आदेश को विश्वविद्यालय वेबसाइट पर जारी करने का श्रम करें।
4. सहायक कुलसचिव/अनुभागाधिकारी/सहायक अनुभागाधिकारी, समस्त परीक्षा अनुभाग, रा.वि.वि., जयपुर।
5. निजी सचिव, कुलपति/कुलसचिव, रा.वि.वि., जयपुर।
6. संबंधित कम्प्यूटर फर्म।

19.11.24
परीक्षा नियंत्रक